

20/5/24

इसलिए जल्दी से पेशेवार
 सरकार उसी हमारे पत्रव्यवस्था की
 इलाकीय विभाग / इलाकीय जमीन
 के विवेक विभाग कि नामान्तरक
 क्रमांक 632 में जमीन का नाम
 गोविन्द के छोड़ दिया जाना
 जे राज्य रेकार्ड में प्रकृति का नाम
 छोड़ देते हैं कि जमीन का नाम
 छोड़ के जमान पर गोविन्द धारक
 अधिकार फिर जाने का भार उठा
 प्रकृति (9) बज 136 पर Act के तहत
 पण्डित (दफ्तरी) धारा 136 पर Act
 के तहत गत परलमने के मुकाममे
 नकीन रेकार्ड में कोई सुदृष्ट रह जाती
 है तो उसे सुदृष्ट फिर जाने के प्रावधान
 (1) जबकि पण्डित प्रकृति नाम परिवर्तन
 का है जो धारा 136 पर Act के तहत
 प्रकृतिय मध्ये है कि प्रकृति का प्रकृति
 बज उवारीन किच जहाँ है पत्रव्यवस्था
 प्रकृति सुमा देका नम्बर से कम है।

(2)

(बीनू देवल)
 सहायक कमिश्नर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)